न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या- अपीलडि/टीए/680/2004/सीकर</u>

1. श्रीमती रूपारानी पत्नी मुरारीलाल
2. सुनील कुमार
3. दिलीप कुमार
4. ऋषि कुमार
5. भवानी शंकर
6. योगेश पुत्रगण मुरारीलाल
7. अलका पुत्री मुरारीलाल
8. शोभा पुत्री नन्दलाल
9. सुनील कुमार पुत्र नन्दलाल
10. गायत्री
11. सुशीला
12. परमेश्वरी
13. नानक
14. सुमन पिसरान नन्दलाल
15. श्रीमती त्रिवेणी बेवा रामकिशन
16. बनवारीलाल
17. थावरमल
18. रतनलाल
19. आनन्द पुत्रगण रामकिशन
20. यशोदा
21. तिरिया
22. सम्पत
23. सुध
24. गुलिया पुत्रियां रामकिशन
25. श्रीमती रतनी देवी बेवा गोविन्दराम
26. श्रीमती गीता देवी पत्नी महावीर प्रसाद
27. श्रीमती तारा देवी पत्नी शशिकान्त मृतक जरिये वारिसान-

27/1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र तारादेवी
27/2. सुनील पुत्र तारादेवी
27/3. शकुन्तला पुत्री तारादेवी

28. श्रीमती ललिता देवी पत्नी सन्तकुमार
29. नरोत्तम लाल पुत्र गोविन्दराम
30. श्रीमती सन्तोष पत्नी रमेश कुमार
31. श्रीकान्त पुत्र गोविन्दराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बलारा तहसील लक्ष्मणगढ
जिला सीकर

-अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शारदा देवी पत्नी विनोदकुमार
2. राजीव कुमार
3. राहुल कुमार पुत्रगण विनोद कुमार
4. सुनीता
5. मनीषा पुत्रियां विनोद कुमार
6. सुरेन्द्र कुमार
7. रामस्वरूप पुत्रगण मन्मथ कुमार
8. श्रीमती जडाव पत्नी चन्द्रसिंह
9. श्रीमती सुगनी पत्नी हरदयालसिंह
10. अरविन्द कुमार पुत्र हरदयाल
11. अजयकुमार पुत्र हरदयाल
12. अमिता पुत्री हरदयाल समस्त नाबालिगान जरिये वली माता सुगनी बेवा हरदयाल
    समस्त जाति जाटान निवासी कसवाली तह. लक्ष्मणगढ जिला सीकर
13. रामनिवास पुत्र मूंगी देवी पत्नी नौरगराम
14. रामप्यारी पुत्री मूंगी देवी
15. इन्द्रा पुत्री मूंगी देवी
    समस्त जाति जाट निवासी माधोपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
16. अखलेख पुत्र कमला पत्नी ओमप्रकाश
17. मन्नी पुत्री कमला पत्नी ओमप्रकाश नाबालिग जरिये वली पिता ओमप्रकाश
18. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणसिंह
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गोठडा भूकरान तहसील व जिला सीकर
19. बिमला पुत्री मूंगी पत्नी नौरगराम जाति जाट निवासी माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
20. श्रीमती कनकोरी पत्नी ईशरराम जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 02.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 90 एवं 183 अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर मौजा कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 11बीघा 10बिस्वा एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 04बीघा 07बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता हीराराम के पास बैसाख जेठ सम्वत् 2011 में 900/-रूपये एवज में रहन गजानन्द व गोविन्दराम ने रखी थी। गजानन्द का देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान वादीगण है। हीराराम का भी देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान प्रतिवादीगण है। यह रहन सम्वत् 2011 में किया गया था, जिसकी अवधि जयपुर टेनेन्सी एक्ट, 1956 के अनुसार 20 साल की थी, जो सम्वत् 031 में खत्म हो गई। रहन की मियाद खत्म होने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं सम्भलाने एवं विवादित भूमियों का खाता स्वयं के नाम करवा लेने से वाद घोषणा एवं बेदखली का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित सात तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी

साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 24-02-1995 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-02-1995 को निरस्त करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि गजानन्द व गोविन्द द्वारा हीरा के यहां पर रहन रखना साबित है एवं हीरा सम्वत् 2013 में जीवित नहीं था, इस कारण उसका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित किया गया है। उनका कथन है कि वादीगण विवादित आराजी के सम्वत् 2012 से 2015 की जमाबन्दी, पर्चा लगान सम्वत् 2013 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 से खातेदार काश्तकार होना पूर्णतया साबित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय केवल बन्धक ग्रहिता का भूमि पर कब्जा होने मात्र से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के खातेदार अपीलार्थीगण वादीगण है जो सम्वत् 2011 से पूर्व के राजस्व रिकार्ड से साबित है एवं अपीलार्थीगण ने रहन को मुक्त कराने के लिए अन्दर मियाद दावा पेश

किया। उनका कथन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत को विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में सम्वत् 2013 से निरन्तर खातेदार दर्ज है तथा रहन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण का वाद मियाद बाहर होने एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वाद नन्दलाल पुत्र हरचन्द, रामाकिशन पुत्र सूरजमल एवं गोविन्द पुत्र मुरलीधर की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में गोविन्द पुत्र मुरलीधर का नाम कही भी किसी भी रूप में अंकित नहीं है, ना ही गोविन्द के पिता मुरलीधर का नाम कहीं अंकन है। नन्दलाल पुत्र हरचन्द का प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसारयदि हिस्सा माना भी जावे तो केवल 1/6 हिस्सा दोनों खसरा नम्बर में तर्क के लिए माना जा सकता है क्योंकि सम्वत् 2013 के उपरान्त उनका नाम दर्ज नहीं है। इसी प्रकार वादी रामाकिशन वल्द सूरजमल सम्वत् 2011 से 2013 के मध्य चिरंजी मानकचन्द के साथ विवादित भूमि में 1/18हिस्सा अंकित है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार साबित नहीं होते है। उनका कथन है कि

विचारण न्यायालय के पत्रावली में उपलब्ध पर्चा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2013 दिनांक 3–7–1956 से विवादित भूमि का पर्चा कृषक के रूप में प्रतिवादीगण के पिता हीरा वल्द लाला जाट के नाम जारी किया गया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 90 एवं 183 अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर मौजा कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 11बीघा 10बिस्वा एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 04बीघा 07बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता हीराराम के पास बैसाख जेठ सम्वत् 2011 में 900/–रूपये एवज में रहन गजानन्द व गोविन्दराम ने रखी थी। गजानन्द का देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान वादीगण है। हीराराम का भी देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान प्रतिवादीगण है। यह रहन सम्वत् 2011 में किया गया था, जिसकी

अवधि जयपुर टेनेन्सी एक्ट, 1956 के अनुसार 20 साल की थी, जो सम्वत् 031 में खत्म हो गई। रहन की मियाद खत्म होने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं सम्भलाने एवं विवादित भूमियों का खाता स्वयं के नाम करवा लेने से वाद के माध्यम से घोषणा एवं बेदखली का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 24-04-1995 से डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2003 से अपील को स्वीकार कर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 17 व 18 की खातेदारी गजानन्द वल्द ओकारसिंह हिस्सा 1/18, विश्वनाथ वल्द भोजराम हिस्सा 1/18, चिंरजी मानकचन्द, रामाकिशन पिसरान सूरजमल हिस्सा 1/18, नन्दलाल वल्द हरचन्द हिस्सा 1/6, किसनलाल वल्द गौरशंकर हिस्सा 1/6, जीतमल वल्द रामजीदास हिस्सा 1/6, सावर वल्द श्योबक्स हिस्सा 1/6, जगदीश वल्द मंगलचन्द हिस्सा 1/12 एवं सीताराम वल्द श्योचन्द हिस्सा 1/12 के नाम दर्ज है तथा कालम संख्या-5 में नोपा पुत्र श्योजी का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। पर्चा भू-प्रबन्ध सम्वत् 2013 दिनांक 3-7-1956 इन्हीं खातेदारान के नाम जारी हुआ है किन्तु कृषक के रूप में हीरा वल्द लाला जाट का नाम दर्ज है। इसी प्रकार सम्वत् 2011 से 2013 की गिरदावरी में भूमिधारी के कालम संख्या-5 में उपरोक्त वर्णित खातेदारों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 17 के कालम संख्या-6 में उपकृषक के रूप में हीरा वल्द चैना बलाई सा0देह का नाम दर्ज है एवं कालम संख्या-16 में गजानन्द गोविन्दराम राहिन हीरा पुत्र लाला राम जाट मूर्तहीन बकाश्त नोपा पुत्र श्योजी जाट सा0देह

दर्ज है। इस कालम संख्या-16 के इन्द्राज में गोविन्दराम का नाम काट कर अंकित किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 18 के कालम संख्या-6 में उपकृषक के रूप में गाडे वल्द खेता चमार सा0 देह का नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 19 में कालम संख्या-5 खाली है तथा कालम संख्या-6 में हीरा वल्द लाला जाट का नाम दर्ज है, जो प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के पूर्वज है। प्रस्तुत प्रकरण में मूल वाद नन्दलाल पुत्र हरचन्द, रामाकिशन पुत्र सूरजमल एवं गोविन्द पुत्र मुरलीधर की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में गोविन्द पुत्र मुरलीधर का नाम कही भी किसी भी रूप में अंकित नहीं है, ना ही गोविन्द के पिता मुरलीधर का नाम कहीं अंकन है। नन्दलाल पुत्र हरचन्द का प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार यदि हिस्सा माना भी जावे तो केवल 1/6 हिस्सा दोनों खसरा नम्बर में तर्क के लिए माना जा सकता है क्योंकि सम्वत् 2013 के उपरान्त उनका नाम दर्ज नहीं है। इसी प्रकार वादी रामाकिशन वल्द सूरजमल सम्वत् 2011 से 2013 के मध्य चिरंजी मानकचन्द के साथ विवादित भूमि में 1/18 हिस्सा अंकित है। इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार साबित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकी संख्या-1 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

9. इसी प्रकार विवादित भूमि को रहन रखने बाबत् केवल मात्र एक दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 13 के कालम संख्या 16 में अंकित इबारत ‘‘गजानन्द गोविन्द राम राहित हीरा पुत्र लालाराम जाट मूर्तहीन बकाश्त नोपा वल्द श्योजी जाट सा0 देह’’ है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमतः तो वादीगण किसी भी साक्ष्य से गजानन्द व गोविन्द के वारिसान साबित नहीं है। द्वितीय विवादित भूमि को रहन रखने का कोई इकरारनामा, बही की लिखावत अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व

अभिलेख में गोविन्दराम विवादित आराजी का खातेदार दर्ज नहीं है केवल मात्र गजानन्द1/18 हिस्से का ही खातेदार दर्ज है। यदि उसके द्वारा विवादित भूमि रहन रखी थी तो वह केवल 1/18 हिस्से की भूमि ही रहन रख सकता था। इसके साथ ही जेठ सम्वत् 2011 में विवादित भूमि के रहन रखे जाने का इन्द्राज भी उक्त खसरा गिरदावरी में नहीं है। उक्त से विवादित सम्पूर्ण भूमि रहन रखा जाना प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कायम की गयी तनकी संख्या–2 व 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है। पर्चा भू-प्रबन्ध सम्वत् 2013 दिनांक 3–7–1956 से विवादित भूमि का पर्चा कृषक के रूप में प्रतिवादीगण के पिता हीरा वल्द लाला जाट के नाम जारी किया गया है। इसके विपरीत वादीगण की ओर से कोई विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे इस पर्चा को गलत माना जा सके। ऐसी स्थिति में कायम की गयी तनकी संख्या–4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन तथा विश्लेषण करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, जिससे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरुप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य